

***National Seeds Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
Plot No. 388, Phase IX Indst. Area- Mohali Pin
160062 Regional Office Mohali-Chandigarh
Phone No. 0172-2214388/2215388 Fax 0172-2213388***

No.1 (11) Admn/NSC/CH/13-14

Dated 17-2-14

SHORT TENDER NOTICE

Sealed tender are invited from reputed Labour contractors for the year 2014-15 and 2015-16 towards attending Seed Processing work at our Processing Plants Bhatinda. The tender documents along with separate terms and conditions are obtainable from above office and offices located at Jalandhar (0181-2602162) Bhatinda(0164-2280346) Hissar(01662-292143) and Karnal(0184-2272127) on payment of Rs. 500/- per set. Tender documents can also be downloaded from NSCs website www.indiaseeds.com and www.eprocure.gov.in. In such cases the tenderer has to deposit Rs. 500/- along with the filled in tender form. Labour Contractors must possess their Labour Contractor License, ESI, EPF Code Nos. etc. Sealed tender duly filled in will be received at NSC Mohali (Chandigarh) up to 2.00 P.M. on 5-3-2014 which will be opened at 2.30 P.M. on same date. In the presence of tenderers or their authorized representative, if any.

**(Dr. Pankaj Kumar Tyagi)
Regional Manager**

बीज प्रक्रिया संयंत्रों का श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये
शर्तें एवं विस्तृत विवरण वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015 - 16

- 1 श्रमिक ठेकेदार का अपना श्रमिक कार्य लाईसंस ई0 एस0 आई/ ई पी एफ कोड न0 होना आवश्यक है ! जिसका पूर्ण विवरण संलग्न करना होगा !
- 2 सफल निविदादाता को कार्य करने से पहले रुपये 20000/. (बीस हजार जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे तथा बीस रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक अनुबंध करना होगा । निविदादाता को निविदा देते समय रुपये 10000/. (दस हजार रुपये)का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ निगम के नाम चन्डीगढ़ को संलग्न करना होगा धरोहर राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 3 खरीफ /रबी जायद संसाधन के दौरान ठेकेदार को बीज संसाधन केन्द्र/गोदामों में प्रति सप्ताह सप्ते प्रतिदिन संसाधन केन्द्र/ मशीनो तथा गोदामों की सफाई करनी होगी । प्लान्ट इन्चार्ज / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के सत्यापन के बाद ही ठेकेदार के बिलों का भुगतान होगा ।
- 4 ठेकेदार को भुगतान बीज की अन्तिम रूप से पैक की गई मात्रा पर ही किया जायेगा न कि अप्रक्रियावृत बीज (Raw Seed) मात्रा पर ।
- 5 ऐसी स्थिति में जहां ठेकेदार को अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग व पैकिंग के लिये भुगतान किया जायेगा उस स्थिति में भुगतान उस मात्रा पर देय होगा जो संसाधन के बाद 35/के0ग्रा0 पैकिंग में प्राप्त होगी !
- 6 ठेकेदार को वह सभी अभिलेख (Record) रखने होंगे जो फैक्टरी एक्ट 1948 मजदूर अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक हैं । इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी न कि निगम की । ठेकेदार द्वारा लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पता, पिता का नाम, आयु इत्यादि अपने हाजरी रजिस्टर में रखना होगा तथा

लगाई गई लेबर की रोज़ हाजरी निगम के अधिकारी/प्लान्ट इंचार्ज से चैक कराना होगा ।

7 निगम के कार्य में लगाये गये मज़दूरों के वेतन से ई एस आई/ भविय निधि अंशदान की वसूली करना एवं इस राशि की अन्य अंशदान/ करों को नियमानुसार ई एस आई/ भविय निधि में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । । ऐंसा ना करने पर निगम कर्मचारी व नियोक्ता दोनों की ई एस आई/ भविय निधी अंशदान की कटौती ठेकेदार के बिलों के भुगतान से कर ली जायेगी। सामुहिक बीमा योजना के अधीन अग्रिम राशि का भुगतान प्रति लेबर प्रति वर्ग प्रशासनिक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा ।

समय समय पर आवश्यकतानुसार व निगम के निर्देशनुसार ठेकेदार को बीज के बोरो/ सामान के चटटे लगवाने होंगे । बोरो की गिनती करना, बंडल लगाना/बनाना एवं अन्य पैकिंग युक्त सामान को सुव्यवस्थित करना तथा चटटा लगाना आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे ।

9 आयकर समय समय पर जो भी लागू होगा उसका भुगतान करने का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

10 बीज प्रक्रिया प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा बिलों की पूर्ण जाच, आयकर , ई0 एस0आई0, भविय निधि, इ पी एफ इत्यादि की वसूली सुनिश्चित होने/ करने के बाद बिलों का भुगतान रेखांकित चैकों के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जायेगा ।

11 धूप से बीजों को उनके न्यूनतम आर्हता स्तर तक सुखने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी !

12 बीजों की प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये ठेकेदार को अप्रक्रियाकृत (Raw Seed) बीजों की मशीन तक पहुचाने से ले कर बीजों की अन्तिम पैकिंग 2 किलोग्राम से 40 किलो ग्राम की पैकिंग करना , बीजापूचार करना अथवा फफुंद नाशक का पैकेट बना कर बीज के थैलों में रखना, टैग लेबलों व थैलों पर सभी वांछनीय जानकारी लिखना , टैग लेबल लगा कर सिलाई करना, सील लगाकर व प्लायर से दबाना, प्रत्येक कृक का फसल किस्तावार/अन्डरसाईज बीज का एकत्र करना, बोरो में डाल कर तुलाई करना, बोरो पर लाट क्रमांक वजन इत्यादि लिखना व सिलाई करना दोनों अन्डरसाईज व प्रक्रियाकृत बीजों को कृकवार लाट वार स्टैक

लगाना तथ बीज से खाली हुए सभी बोरो को साफ कर एवं उल्टा करके, सैग्रीगेट कर 50.50 के बन्डल बना कर निर्देशित स्थान पर रखना इत्यादि । मंद संख्या 4.5 की बीज प्रक्रिया की दरों से अप्रक्रियाकृत बीज (Raw seed) को मशीनो पर पहुचाने स्टैक लगाने, छानना (undersize) बीज को मशीनों से उठाकर प्रक्रिया संयंत्र के बाहर निगम के परिसर में लगाने अथवा किराये पर लिये गये प्रक्रिया संयंत्र से 100 फुट पर लगाने की दरें सम्मिलित हैं । इस कार्य का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जायेगा ।

13 अप्रत्यक्ष वाले सभी कार्य जैसां क्रमांक 12 में दर्शाया गया है ठेकेदार को करने होंगे ।

14 ठेकेदार की प्रक्रिया संयंत्र पर प्रक्रिया प्रभारी /प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार प्रक्रिया कार्य के लिये प्रयाप्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे । कार्य के लिये प्रार्थित श्रमिकों की पूर्ति करने में असफल होने की दिशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं श्रमिकों को लगातार कार्य कराए एवं लगाये गये मजदूरों की मजदूरी व सर्विस चार्ज /ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जायेगी। संतोजनक कार्य ना होने पर चेतावनी देकर ठेका निरस्त भी किया जा सकता है साथ में धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है ।

15 जब निगम की प्रक्रिया संयंत्र के अलावा बीज को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो एक ही नगरपालिका में स्थित है पहुचाना है तो बीजों/सामान को लोड करवाने परिवहन करने, उतरवाने स्टैक लगाने हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बीज सामान परिवहन के दौरान यदि बीज अथवा सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसके लिये ठेकेदार पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा एवं निगम द्वारा तय की गई सामान की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जाएगी अगर राशि अधिक हो तो इसका भुगतान ठेकेदार को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा निगम को करना होगा ।

16 प्रक्रिया प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/सामान परिवहन के लिये ट्रकों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐसा ना करने पर व असफल होने पर आवश्यकतानुसार निगम ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था कर लेगी एवं इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से कर ली जायेगी 1

17 एक ही परिसर से एक गोदाम से बीज का परिवहन एवं अन्य दूसरे सभी कार्य जैसा उपरोक्त कालम क्रमांक स0 1 एवं 2 में लागू है की व्यवस्था भी ठेकेदार को ही करनी होगी ।

18 ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिमाह समय समय पर करना अनिवार्य है अन्यथा ठेकेदार के बिल से श्रमिकों की मजदूरी की राशि काट कर दी जायेगी ताकि किसी प्रकार के श्रमिक वाद विवाद से बचा जा सके ।

19 किसी भी प्रकार की आपत्ति विवाद अनुबन्ध की कार्यनवित होने के संबंध में अथवा उसके समाधान की स्थिति में उत्पन्न होता है तो यह सोल आरबीट्रेटर को सौंपा जायेगा जो कि निगम का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उच्चतम अधिकारी स्वयं भी सोल आरबीट्रेटर का कार्य करने में सक्षम होगा । इस अनुबंध के अन्तर्गत ठेकेदार को कोई एतराज नहीं होगा कि अध्यक्ष या आरबीट्रेटर जैसा कि ऊपर नियुक्त किया गया है यह व्यक्ति है जिसने मामले को डील किया है अपने विचार प्रकट किये हैं या अपनी विचार भिन्नता व्यक्त की है !

20 उपरोक्त दी गई शर्तें श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रूप से मान्य होगी

टैन्डर फार्म

क्षेत्रीय प्रबन्धक

नेशनल सीडस कारपोरेशन लि०

चन्डीगढ़

विय: आपकी निविदा दिनांक 17-2-14 के संदर्भ में Bhatinda

प्लांट के लिये

श्रमिक ठेकेदार की नियुक्ति हेतु दरें वर्ष 2014.15 तथा 2015.16

महोदय,

उपरोक्त निविदा सूचना के संबंध में आपके अधीनस्थ प्रक्रिया संयंत्रों पर कार्य करने के लिये मेरी/हमारी दरें निम्नलिखित होंगी

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति कु०
1	नगरपालिका परिसर से बीज /सामान का लोडिंग परिवहन एवं अनलोडिंग ।	
2	एक ही परिसरमें स्थित विभिन्न गोदामों में बीज /सामान को शिफ्ट करना । क्र० सं० 3 व 4 पर लागु नहीं ।	
3	बीजों के मशीन द्वारा सीधे (Direct)ग्रेडिंग तथा पैकिंग करना रा सीड की बोरियों को मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना 40 किलो साईज में पैक करना टैग,सील स्टैक लगाना खाली बोरों को उल्टा करके 50 50 के बंडल बना कर रखना इत्यादि	
4	बीजों को मशीन द्वारा सीधे (Direct)ग्रेडिंग तथा पैकिंग करना इत्यादि । रा सीड को बोरियों की मशीन में ग्रेडिंग के लिये डालना 5 0/35 किलो साईज में पैक करके (Bulk packing) वाछित स्थान पर स्टैक लगाना ।	
5	अप्रत्यक्ष (Indirect) बल्क पैकिंग/ग्रेडिंग बीज से वाछित साईज की थैलियों में बीज उपचारित/अनुपचारित कर थैलियों में भरना, टैग,सील,स्टैक लगाना, खाली बोरी के 50.50 बंडल बना कर रखना इत्यादि	
क	बीज की 3 किलो तक थैलिया मिनीकिट बनाना और आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ख	बीज की 3 से उपर तथा 12 किलों तक थैलिया बनाना और थैलियो को आवश्यकतानुसार बोरियों में भरना ।	
ग	बीज की 12 से उपर तथा 40 किलो तक थैलिया बनाना ओर थैलियों को अवश्यकतसनुसार भरना !	
5	बीज/सामान को ट्रक/ट्राली आदि में लोड करना	
6	बीज /सामान को ट्रक/ट्राली आदि में अनलोड करना	
7	खरीफ सीजन में उत्पादित बीजों को धूप मे उचित नमी तक सुखाई	

	करना (बीजों को गोदाम में सुखाने के स्थान तक लाना, ले जाना आदि शामिल है)	
8	बीजों को पुनः वैधीकरण करना बीजों को लाट साईज करना, वैधीकरण की मोहर लगाना तथा पुनः स्टैक लगाना इत्यादि ।	
क	3किलो वजन की थैलिया	
ख	3 किलो से उपर तथा 12 तक किलो वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
9	बीजों को पुनः वैधीकरण (Revalidation) के अर्न्तगत नई थैलियां बनाना भरना, टैग लेबल, सिलाई, सील लगाना तथा थैलियों को बोरियों में भरना और पुनः स्टैक लगाना	
क	3किलो वजन की थैलिया	
ख	3किलो से उपर तथा 12 किलो तक वजन की थैलिया	
ग	12 किलो से उपर तथा 40 किलो तक वजन की थैलिया	
10	बीज लाट की स्टैक की तुड़ाई करना, लाट वाईज़ बीजों की छटाई करना एवं उसी गोदाम में स्टैक लगाना (segrigation)	
11	खाली बोरियां/खाली कटऑ/बारदाना की छटाई गिनती 50.50. के बन्डल बनाना तथा स्टैक लगाना इत्यादि (दर प्रति बन्डल)	
12	समय समय पर गोदामों में बीजों का Fumigation करवाना, दवाई डालना, कवर को बीज पर डालना, मिटी कवर पर लगाना इत्यादि, Fumigation के बाद कवर को उठाना तथा मिटी इत्यादि साफ करना (रेट प्रति कु0)	

उपरोक्त दरें.....वा/वार्डों के लिये दी गई हैं ।

डिमांड ड्राफ्ट ..नम्बर.....दिनांक.....

राशि रुपये.....ई एम डी हेतु संलग्न है ।

भवदीय

ई एम डी संलग्न है

(हस्ताक्षर)
पूरा नाम पता

.....
.....